झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के दिनांक–28.11.2022 से दिनांक–30.11.2022 तक लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा जिले के भ्रमण से सम्बन्धित भ्रमण प्रतिवेदन।

1. लोहरदगा जिला में दिनांक–28.11.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जिला के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद। अपराह्न 02.30 बजे से 04.30 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम।

- दिनांक–28.11.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक लोहरदगा जिला अन्तगत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम एवं अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे तक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम में जिले के 66 में से 24 पंचायतों के मुखिया एवं 19 पंचायतों के उप मुखिया उपस्थित हुए। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे लोहरदगा जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभाग के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी गई। अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा मुख्य रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत एवं मुखिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

2. गुमला जिला में दिनांक–29.11.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जिला के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद। अपराह्न 02.30 बजे से 04.30 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम।

- दिनांक–29.11.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक गुमला जिला के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम एवं अपराह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे तक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 159 पंचायतों में से 132 पंचायतों के मुखिया की उपस्थिति दर्ज की गई। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे गुमला जिले के उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा अपने–अपने विभाग से संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

3. सिमडेगा जिला में दिनांक–30.11.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 01.30 बजे तक जिला के पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद। अपराह्न 03.00 से संध्या 05.00 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम।

- दिनांक–30.11.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 01.30 बजे तक सिमडेगा जिले के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम एवं अपराह्न 03.00 से संध्या 05.00 बजे तक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम में जिले के 94 पंचायतों के मुखिया में से 76 मुखिया की उपस्थिति दर्ज की गई। संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे उप विकास आयुक्त, सिमडेगा, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिमडेगा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा,

सिविल सर्जन, सिमडेगा के प्रतिनिधि के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी, सिमडेगा, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिमडेगा आदि उपस्थित रहे।

4. आयोग के अध्यक्ष का संबोधन

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी द्वारा सभी मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित पूरी व्यवस्था पंचायत के मुखिया पर ही टिकी हुई है। जिस प्रकार नींव मजबूत होगा, तो इमारत भी मजबूत होगी। उनके द्वारा कहा गया कि मुखिया समाज के नींव होते हैं, वे सशक्त और जागरूक होंगे, तभी आम जनता भी सशक्त और जागरूक हो पायेगी, योजनाएँ धरातल पर उतर सकेगी एवं कोई भी लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के लाभ से वंचित नहीं होंगे। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएँ संचालित है, किन्तु जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में लाभुकों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। अध्यक्ष द्वारा मुखियागणों से कहा गया कि जिले में संचालित योजनाओं की निगरानी करना मुखिया की ही जिम्मेवारी है। आम जनता को जागरूक एवं सशक्त बनाना तथा अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचना ही इस संवाद का मुख्य उद्देश्य है। इसलिये ***"आप अधिकार जानेंगे, तभी अधिकार मांगेंगे"***। जिले के असहाय, एकल व्यक्ति, विधवा महिला, विकलांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुँच सके, यह सुनिश्चित करने में मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिन जिलों के अधिकारी संवेदनशील नहीं हो तो ऐसे में आप मुखियागण की जिम्मेवारी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायतों को आयोग के समक्ष लाएँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने अथवा किसी प्रकार की शिकायत होने पर आयोग के वाट्सएप्प नंबर–9142622194 पर शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया गया। आयोग की ओर से सभी मुखियागणों के बीच किट का वितरण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित जानकारी दी गई है।

- आयोग के अध्यक्ष ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी होर्डिंग्स और अन्य माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर लोगों को जागरूक करें। यथा संभव जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कुपोषण उपचार केन्द्र आदि से सम्बन्धित होर्डिंग्स पंचायत भवनों में लगाना सुनिश्चित करवायें।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियाओं से अपने पंचायत के किसी सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजना यथा–जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित होर्डिंग्स/पोस्टर लगाने एवं उसमें राशन तथा पोषाहार से सम्बन्धित प्रत्येक पहलुओं को अंकित करने का अनुरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि जनवितरण प्रणाली वितरण केन्द्र के बाहर बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें राशन का आवंटन, राशन वितरण की तिथि, पात्रता के अनुसार राशन का वितरण एवं लाभुकों की सूची अंकित करायें। इसी तरह विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सरकार के प्रावधान अनुसार मेन्यू के आधार पर मिलने वाला मध्याह्न भोजन/पोषाहार, खाने की पौष्टिकता, लाभुकों की संख्या आदि अंकित हो।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि यदि किसी की मौत भूख से होती है तो इसकी जवाबदेही मुखिया की ही होगी। किसी की मौत भूख से नहीं हो, इसलिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया गया है। पंचायत स्तर पर मुखिया निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निगरानी समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप मुखियागण नियमित रूप से समिति की बैठक करायें एवं बैठक से सम्बन्धित कार्यवाही की प्रति आयोग को भी दें। अधिकारियों के सहयोग से मुखियागण योजनाओं को सही ढंग से लागू करवाने में सहयोग करें एवं अपने पंचायत में भ्रष्टचार को पनपने न दें। किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास लिखित रूप में प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज कराएँ। यदि उनके द्वारा 30 दिनों के अंदर आपके शिकायत का निवारण नहीं किया

जाता है अथवा उनके द्वारा किये गये कार्रवाई से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हैं, तो शिकायतकर्ता झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के वाट्सएप्प नंबर–9142622194 या ईमेल–jharfoodcommission@gmail.com पर पूर्व में किये गये शिकायत की प्रति एवं अन्य प्रमाण के साथ अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि आपसी रंजिश/आपसी झगड़ा में किसी की शिकायत न करें, शिकायत प्रमाणिक होगी, तभी आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी हरा राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रिक्ति नहीं रहने के कारण राशन कार्ड भी निर्गत नहीं किया जा सकता है। पंचायत में मुखिया को भी इस बात का संज्ञान होगा कि कई सम्पन्न परिवारों के पास राशन कार्ड है, जबकि गरीब एवं असहाय व्यक्तियों का कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस हेतु सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि राशन कार्ड के लिये जो लोग अयोग्य हैं एवं उनके पास राशन कार्ड है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर, उनका राशन कार्ड सरेंडर कराते हुए, योग्य लोगों को राशन कार्ड बनवाने में सहयोग करें। मुखिया समाज की अहम कड़ी हैं, उनके सहयोग के बिना यह कार्य नहीं किया जा सकता है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि भोजन लोगों का मौलिक अधिकार है। किसी की मौत भूख से न हो एवं किसी के समक्ष भोजन का संकट न हो, इसलिये सरकार द्वारा झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष नामक फंड के तहत् प्रत्येक पंचायत के मुखिया को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके अन्तर्गत असहाय/एकल व्यक्ति/विधवा/समाज के कमजोर वर्ग अथवा जिन लोगों के सामने भोजन का संकट हो, उन्हें बाजार दर पर अनाज खरीद कर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। झारखण्ड आकस्मिक खाद्यान्न कोष के माध्यम से मुखिया को प्राप्त 10,000/– रू0 की राशि समाप्त होने पर, वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचित करें, उन्हें पुनः 10,000/– रू0 का फंड उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान दें कि किन्हीं को अनाज से सम्बन्धित कोई समस्या न हो।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राज्य में 95 प्रतिशत PDS दुकान ऑनलाईन हो चुका है। **''एक राष्ट्र एक राशन कार्ड''** योजना के तहत् ऑनलाईन दुकान से सम्बद्ध कोई भी लाभुक देश भर में राज्य के किसी भी जिले के किसी भी प्रखण्ड अथवा पंचायत एवं किसी भी ऑनलाईन जनवितरण प्रणाली केन्द्र से राशन का उठाव कर सकता है। लाभुक द्वारा राशन के लिये अंगूठा लगाया जाता है, तो ई–पॉस मशीन से निकलने वाले पर्ची में अंकित मात्रा के अनुरूप उन्हें राशन दिलाना मुखियागण सुनिश्चित करें। जिन लाभुकों का अंगूठा मशीन में नहीं लगता है, उनके लिए डीलर को अपवाद पंजी में संधारित करने का विभागीय आदेश प्राप्त है। अपवाद पंजी की मुखिया अपने स्तर से जाँच करें कि कहीं कोई गड़बड़ी न कर सके। मुखियागण लाभुकों को बतायें कि किसी भी हाल में एडवांस में अंगूठे का निशान नहीं लगायें, इससे राशन में गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहती है। PVTG के तहत् लाभुक को प्रत्येक माह सील बंद पैकेट में 35 कि0ग्रा0 राशन निःशुल्क उनके घर तक पहुँचाने का प्रावधान है, इसमें किसी प्रकार की कोई राशि लाभुकों से नहीं ली जाती है।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि डीलर को सस्पेंड करने अथवा उनके विरूद्ध कार्रवाई करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लाभुकों को किस डीलर के साथ संबद्ध किया गया, इसकी सूचना लाभुकों को ससमय दी जाए। ताकि लाभुकों को राशन निर्बाध रूप से मिल सके।
- प्रत्येक विद्यालय के बाहर मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित सूचना पट्ट लगाने एवं मेन्यू के अनुसार बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष द्वारा सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि यदि विद्यालय में सूचना पट्ट में मेन्यू नहीं लगा हुआ हो एवं बच्चों को मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा हो, तो आप इसका फोटो क्लिक कर जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अथवा राज्य खाद्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें।

- आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर भी सूचना पट्ट में मेन्यू के अनुरूप दिये जाने वाले पोषाहार एवं अन्य योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदर्शित कराना एवं केन्द्र की निगरानी करना आप मुखिया की जिम्मेवारी है। आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं को दी जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में जागरूक करने का भी कार्य आप मुखियागण को ही करना है। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने क्षेत्र में वैसे बच्चों की पहचान करें, जो बच्चे अति कुपोषित हैं, उम्र के अनुसार उनका लंबाई न बढ़ना अथवा कम वजन हो, तो ऐसे बच्चों के माता–पिता को कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती कराने हेतु प्रेरित करें। उनका ईलाज ***"कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC)"*** में करने का प्रावधान है। बच्चे के ईलाज के दौरान यदि माँ भी बच्चे के साथ केन्द्र में रहना चाहती हों, तो उन्हें भोजन के लिए प्रतिदिन 130/– रू0 की राशि देने का प्रावधान है।

  सरकार द्वारा लाभुकों के लिए योजनाएँ बनाई जाती है, इसका लाभ जनता तक सही ढंग से नहीं पहुँच पा रही है। इसकी निगरानी मुखियागण को ही करना है। संवाद करने का यही मुख्य उद्देश्य है कि जनता तक सरकार की योजनाएँ आपके माध्यम से पहुँच सके।
- आयोग के अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि राज्य के हर जिले के ऐसे पंचायतों के मुखिया जो अपने पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करायेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक जिला से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग के स्थापना दिवस 9 दिसम्बर के दिन कार्यक्रम आयोजित कर राज्य भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुखिया को पुरस्कृत और सम्मानित किया जायेगा।
- तीनों जिलों के मुखिया द्वारा बताया गया कि उन्हें निगरानी समिति के गठन की जानकारी नहीं है। इस पर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि नवनिर्वाचित मुखिया को निगरानी समिति की जानकारी नहीं होना अत्यन्त दुखद है। उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे आपस में समन्वय स्थापित कर जिले के सभी मुखिया को निगरानी समिति की संपूर्ण जानकारी दें।
- तीनों जिलों में मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित मेन्यू की जानकारी आम लोगों को नहीं होने की बात प्रकाश में आई। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को निदेश दिया गया कि वे सभी विद्यालयों में मेन्यू प्रदर्शित कराना सुनिश्चित कराएँ।
- अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि गुमला जिले के अधिकारियों का कार्य सराहनीय है, वे जागरूक हैं एवं जिले में उनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। आयोग द्वारा इसकी प्रशंसा की गई।

5. आयोग की सदस्या का संबोधन

- आयोग की माननीय सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन द्वारा बताया गया कि मुखिया पंचायत के सरकार हैं, आपसे संवाद का यही मुख्य उद्देश्य है कि समाज के गरीब एवं निचले स्तर तक के लोगों तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ पहुँच सके। मुखियागण सशक्त होंगे तो समाज भी सशक्त होगा। लाभुकों तक खाद्यान्न की पूर्ति कराना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। राज्य में कई ऐसे जिलें हैं, जहाँ पोषण की स्थिति अच्छी नहीं है। भोजन की निर्बाध पूर्ति लाभुकों तक कैसे हो, इस पर चर्चा करने हेतु संवाद किया जा रहा है। राज्य में अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहें हैं। उनकी जीवन को कैसे बेहतर बना सकें, उन्हें कैसे सुदृढ़ कर सकें, इसके लिये हम सभी को आगे आना होगा। खाद्यान्न की समस्या से निपटने के लिये ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया गया है।
- आज झारखण्ड राज्य में कई ऐसे घर हैं, जहाँ लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिल पाता है एवं इस मामले में शहर की स्थिति भी काफी अच्छी नहीं है। इसी उद्देश्य को धारातल पर लाने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सरकार द्वारा पारित किया गया। सरकार ने मुखिया को यह अधिकार दिया है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले योजनाओं को सुदृढ़ करने का कार्य करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत योजना को लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए मुखियागण का सहयोग अपेक्षित है।

6. लोहरदगा जिला के पदाधिकारियों द्वारा संबोधन

- अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित सभी योजनाओं से अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार की कोशिश है कि लाभुकों तक निर्बाध तरीके से खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। इसकी निगरानी हेतु राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् जनवितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के अलावे प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में पका–पकाया भोजन देने का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं एवं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिये योजनाएँ संचालित हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् गर्भवती महिलाओं को 5000/– रू0 की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिसमें निबंधन के समय 1000/– रू0, बच्चे के जन्म के समय 2000/– रू0, बच्चे की टीकाकरण के समय 2000/– रू0, इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा के तहत् 1000/– रू0 की राशि लाभुक को दी जाती है।

- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा संबोधन में कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत सभी PHH कार्डधारियों को प्रति सदस्य को 1.00 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 5 कि0ग्रा0 राशन, अंत्योदय कार्डधारियों को 1.00 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 35 कि0ग्रा0 राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् प्रति सदस्य 5 कि0ग्रा0 राशन मुफ्त में देने एवं PVTG के परिवारों को 35 कि0ग्रा0 राशन सील बंद बोरे में उनके घर तक पहुँचाने का प्रावधान है, इसमें किसी प्रकार की राशि लाभुकों से नहीं ली जाती है।
- कार्यपालक दंडाधिकारी–सह–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि लोहरदगा जिले में कुल 679 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार का वितरण नियमित रूप से किया जा रहा है। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के बीच नियमित रूप से THR का वितरण किया जा रहा है। साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को योजनाओं का लाभ केन्द्रों में प्राप्त हो रहा है।
- जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना नियमित रूप से संचालित है। लोहरदगा जिले में कुल 490 विद्यालय संचालित हैं एवं विद्यालयों में पढ़ने वाले कुछ छात्रों की संख्या 68,694 है तथा 1,114 रसोईया कार्यरत है।

7. लोहरदगा जिला के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों द्वारा किये गये प्रश्नों का समाधान

- प्रश्न–आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थिति ठीक नहीं है, माह में 15 दिन भी केन्द्र नहीं खुलता है।
  उत्तर–इस प्रकार की शिकायतों को जिले के अधिकारियों के समक्ष दर्ज कराएँ। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिले के प्रत्येक पंचायत भवन में आंगनबाड़ी से सम्बन्धित सूचना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
- प्रश्न–सेन्हा प्रखण्ड के ग्रामीणों को डीलर द्वारा राशन काट कर दिया जाता है।
  उत्तर–इसकी शिकायत जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष करें। शिकायत का समाधान नहीं होने पर प्रमाण सहित आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें एवं लोगों को भी प्रेरित करें।
- प्रश्न–श्री सुनील, मुखिया, पंचायत–हरमू, प्रखण्ड–लोहरदगा द्वारा कहा गया कि उनके पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं एवं बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उत्तर–आप लिखित रूप में आवेदन दें, आयोग द्वारा इस पर कार्रवाई किया जाएगा।

- प्रश्न–श्री अनील उरांव, मुखिया, पंचायत–भड़गाँव, प्रखण्ड–सेन्हा द्वारा कहा गया कि ई–पॉस मशीन सही ढंग से काम नहीं करता है, जिससे लाभुकों को राशन प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

  उत्तर–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा कहा गया कि जहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ के डीलर को डोंगल उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग द्वारा कहा गया कि विभाग द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। यदि मशीन काम नहीं करता है तो डीलर द्वारा अपवाद पंजी में संधारित कर लाभुकों को राशन देने का प्रावधान है। डीलर किसी भी स्थिति में राशन देने से मना नहीं कर सकता है।

- प्रश्न–कामील टोपनो, मुखिया, पंचायत–देवदरिया, प्रखण्ड–किसको द्वारा कहा गया कि NFSA का राशन मिलता है किन्तु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन नहीं मिलता है।

  उत्तर–आप लिखित रूप में जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करें।

- प्रश्न–कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ मध्याह्न भोजन सही नहीं रहता है, सब्जी में दुर्गंध रहती है। विद्यालय में कितने बच्चे आते हैं, इसका कोई हिसाब–किताब नहीं है। डीलर राशन का वजन पत्थर से करते हैं।

  उत्तर–आयोग द्वारा कहा गया कि इस प्रकार की शिकायत मिलने पर आप वीडियो बना कर प्रमाण के साथ जिले के अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करें। विद्यालय में साफ–सफाई के लिये प्रेरित करें। बच्चों को विद्यालय जाने के लिये प्रेरित करें। आपके शिकायत का समाधान नहीं होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें, आयोग द्वारा इस पर कार्रवाई किया जाएगा।

- प्रश्न–कई ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जहाँ कुछ ही बच्चे उपस्थित रहते हैं। बच्चों को कभी खिचड़ी मिलता है और कभी नहीं।

  उत्तर–इसकी शिकायत आप जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष करें। समाधान नहीं होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर प्रमाण सहित शिकायत दर्ज करें।

- प्रश्न–मध्याह्न भोजन का मेन्यू क्या है, किसी को पता नहीं। स्कूल द्वारा नहीं बताया जाता है।

  उत्तर–जिला शिक्षा अधीक्षक मध्याह्न भोजन के मेन्यू को सभी स्कूल में प्रदर्शित कराएँ।

8. गुमला जिला के पदाधिकारियों द्वारा संबोधन

- अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को लागू करने में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिनियम के अन्तर्गत PHH कार्डधारियों को प्रति सदस्य को 1.00 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से

5 कि0ग्रा0 राशन, अंत्योदय कार्डधारियों को 1.00 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 35 कि0ग्रा0 राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जिले में 12 हजार हरा राशन कार्ड बनाया गया। सभी मुखियागण से अनुरोध किया गया कि यदि राशन नहीं मिलने अथवा कम मिलने, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं मिलने, आंगनबाड़ी केन्द्र में योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर आप अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करें। सभी मुखियागण से सहयोग की अपेक्षा की गई।

- उप विकास आयुक्त, गुमला द्वारा सभी अधिकारियों से क्षेत्र भ्रमण करने हेतु अनुरोध किया गया। भ्रमण के दौरान शिकायतों/परेशानियों को अधिकारियों के समक्ष रखें, ताकि उनका समाधान हो सके। योजनाओं को लागू करने हेतु सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की गई।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 726 जनवितरण प्रणाली की दुकानें हैं। जिले में PH राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों की संख्या–6,67,000 एवं अंत्योदय राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों की संख्या–1,67,640 है। गुमला जिले को हरा राशन कार्ड बनाने हेतु 46,667 का लक्ष्य मिला था, जिसे पूरा कर लिया गया है। पुनः 24,000 हरा राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य मिला है। PVTG के परिवारों को JSLPS की महिलाओं के माध्यम से 35 कि0ग्रा0 राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में कुल 16 दाल–भात केन्द्र भी संचालित है।
- जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला द्वारा बताया गया कि जिले के 1475 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित योजनाएँ संचालित हैं, जिसमें कुल 1,51,427 बच्चे नामांकित हैं। विद्यालयों में मेन्यू के आधार पर बच्चों को मध्याह्न भोजन दी जा रही है। मध्याह्न भोजन में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं मापदंड की निगरानी मुखियागण से करने का अनुरोध किया गया।
- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र में कुपोषण एवं एनिमिया से बचने के लिये बच्चों एवं महिलाओं के लिये योजनाएँ संचालित है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिये खिचड़ी, सूजी एवं घी दी जा रही है। पोषण आहार के रूप में 25 दिनों के लिये दलिया एवं उपमा दी जा रही है। कुपोषण से बचने के लिये महिलाओं के बीच पोषण लड्डू का वितरण किया जा रहा है साथ ही साथ बच्चों के लिये भी पोषण लड्डू तैयार किया जा रहा है। 80 प्रतिशत SAM बच्चों के बीच SAM किट का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् गर्भवती महिलाओं को 5,000/– रू0 की राशि दिये जाने का प्रावधान है।
- सिविल सर्जन, गुमला द्वारा बताया गया कि जननी सुरक्षा योजना जिले में संचालित है, जिसके तहत् गर्भवती महिलाओं को दो दिनों तक नाश्ता एवं खाना दिया जाता है। सभी मुखियागण से

अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों को भी चिन्हित कर, उन्हें कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्त्ती कराने में सहयोग करें।

9. गुमला जिला के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों द्वारा किये गये प्रश्नों का समाधान

- प्रश्न–श्री पोलीदोर एक्का, मुखिया, पंचायत–छिदवानी, प्रखण्ड–चैनपुर द्वारा कहा गया कि 116 लोगों का सफेद राशन कार्ड बना हुआ है, इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

  उत्तर–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला द्वारा कहा गया कि लाभुक ऑनलाईन आवेदन दें, इसका समाधान किया जाएगा। इस आयोग द्वारा कहा गया कि आप लिखित में जिला के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दें। समाधान नहीं होने पर प्रमाण सहित आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें। यदि सफेद कार्डधारियों के समक्ष भोजन का संकट हो, तो मुखिया उन्हें आकस्मिक निधि के माध्यम से राशन उपलब्ध कराएँ।

- प्रश्न–पंचायत–जरजट्टा, प्रखण्ड–राइडीह के मुखिया द्वारा कहा गया कि ई–पॉस मशीन में नेटवर्क की समस्या होती है, इससे लाभुकों को राशन प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

  उत्तर– आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को निर्देश दिया गया कि जब तक यह समस्या दूर नहीं हो जाती है, तब तक अस्थायी व्यवस्था की जाय। जिससे लाभुकों को कठिनाई नहीं हो।

- प्रश्न–जिले में काफी सारे लोगों द्वारा राशन कार्ड के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जाता है, किन्तु राशन कार्ड कब तक बनेगा, इसकी कोई समय–सीमा नहीं होती है।

  उत्तर–लाभुक द्वारा किये गये आवेदन की जाँच प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किये जाने के उपरांत कार्ड निर्गत किया जाता है। PH राशन कार्ड में रिक्ति नहीं होने के कारण तत्काल अभी हरा राशन कार्ड बनाया जा रहा है।

- प्रश्न–श्री बसनु उराँव, मुखिया, पंचायत–बनारी, प्रखण्ड–बिशुनपुर द्वारा कहा गया डीलर के पास अत्याधिक राशन कार्ड होने के कारण लाभुक को राशन लेने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

  उत्तर–लाभुक ऑनलाईन आवेदन दें, उनका डीलर बदल दिया जाएगा।

- प्रश्न–श्रीमती सुषमा केरकेट्टा, मुखिया, पंचायत–कोलेंग, प्रखण्ड–पालकोट द्वारा कहा गया कि किसी कार्डधारी द्वारा यदि माह का राशन का उठाव नहीं किया जाता है, तो क्या उन्हें अगले माह राशन मिल सकता है ?

उत्तर–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला द्वारा बताया गया कि जिस माह का राशन हो, उसी माह लेना होगा। यदि कोई विशेष परेशानी हो तो आप लिखित में आवेदन दें।

- प्रश्न–चैनपुर प्रखण्ड में नेटवर्क की समस्या के कारण लाभुक को 15–20 कि0मी0 दूर जा राशन लेना पड़ता है, जिससे लाभुकों को काफी परेशानी होती है।
- उत्तर–इस स्थिति को दूर करने के लिए 2G नेटवर्क को 4G नेटवर्क में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया गया है, इससे लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी।
- प्रश्न–मध्याह्न भोजन में अनियमितता बरती जाती है। प्रायः खिचड़ी बनाया जाता है।
  उत्तर–जिला शिक्षा अधीक्षक सभी स्कूल में मेन्यू प्रदर्शित कराएँ।
- प्रश्न–श्री प्रेमचन्द केरकेट्टा, मुखिया, पंचायत–कोन्सा, प्रखण्ड–कामडारा द्वारा कहा गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन नहीं है, इससे परेशानी होती है।
  उत्तर–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला द्वारा कहा गया कि भवन निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है। 44 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।
- प्रश्न–चैनपुर प्रखण्ड में डीलर द्वारा राशन कम दिया जाता है। पूछने पर डीलर द्वारा बताया जाता है कि गोदाम से ही राशन कम मिलता है।
  उत्तर–लाभुक जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराएँ। समाधान नहीं होने पर प्रमाण के साथ आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर शिकायत दर्ज करें। आयोग द्वारा इस पर कार्रवाई किया जाएगा। राशन कार्ड में पात्रता के अनुसार ही राशन लेना है, इसकी निगरानी मुखियागण करें।
- प्रश्न–गुमला जिला में काफी दूरी तय कर राशन लेने जाना पड़ता है। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्धारित जनसंख्या पर राशन दुकान नहीं होने एवं आबादी का धनत्व अधिक होने के कारण लोगों को राशन लेने के लिए दूर जाना पड़ रहा है।
  उत्तर–अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि विभाग को इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखा जाएगा।

10. सिमडेगा जिला के पदाधिकारियों द्वारा संबोधन

- अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा मुखियागण को संबोधित करते हुए कहा गया कि जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी एवं मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन में मुखिया जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मुखियागण के माध्यम से ही जनता जागरूक हो सकती है। लोगों के बीच जागरूकता एवं जानकारी के अभाव में वे योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की आवश्यकता है। सभी

पंचायतों में निगरानी समिति गठित है, जिसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं। जिले के लाभुकों को निर्बाध तरीके से खाद्यान्न की आपूर्ति कराने हेतु अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया है। PHH कार्डधारियों को प्रति सदस्य 1.00 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 5 कि0ग्रा0 राशन, अंत्योदय कार्डधारियों को 1.00 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 35 कि0ग्रा0 राशन उपलब्ध कराने एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 5 कि0ग्रा0 राशन प्रति सदस्य मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त PVTG परिवार को 35 कि0ग्रा0 राशन सील बंद बोरे में उनके घर तक निःशुल्क पहुँचाना है। विद्यालयों के बाहर सूचना पट्ट लगाने हेतु अधिकारियों को निदेश दिया गया है, जिसमें मेन्यू के अनुसार मध्याह्न भोजन दिये जाने का उल्लेख हो। साथ ही विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों का शत प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के बाहर भी सूचना पट्ट लगाने हेतु अधिकारियों को निदेश दिया गया है। योजना से सम्बन्धित शिकायत होने पर जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराएँ, उनके द्वारा 30 दिनों के अन्दर सुनवाई कर आदेश पारित कर शिकायत का निपटारा किया जाएगा। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पारित आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील दर्ज किया जा सकता है, इस पर आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिकायत दर्ज करने हेतु विभाग का टोल फ्री नं0–18002125512 एवं ईमेल–pgms@dfcajharkhand.in उपलब्ध कराया गया।

- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा बताया गया कि जिले के योग्य लाभुकों का राशन कार्ड बनाने हेतु ऑनलाईन कार्य किया जा रहा है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम राशन कार्ड से हटाने हेतु सहयोग करें। अब तक लगभग 800 मृत लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा चुका है। कार्ड में नाम जोड़ने अथवा हटाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाय। मुखियागण से आग्रह किया गया कि वे जनवितरण प्रणाली के दुकानों के बाहर सूचना पट्ट लगवाना सुनिश्चित करें। मुखिया से कम से कम 10 अच्छे डीलरों की सूची भी मांगी गई। वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आकस्मिक निधि कोष से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी मुखिया की है। प्रत्येक मुखिया को आकस्मिक निधि द्वारा 10 हजार की राशि उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ नेटवर्क की समस्या है, ऐसे लगभग 25–30 क्षेत्रों में डोंगल का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त 200 डोंगल का क्रय करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी मुखिया से अनुरोध किया गया कि जिन स्थानों पर नेटवर्क की समस्या है, उन स्थानों की जानकारी उपलब्ध कराएँ, ताकि वहाँ डोंगल अथवा 4G मशीन की व्यवस्था की जा सके। ***"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड"*** के तहत

देश भर में किसी भी डीलर के पास से लाभुक द्वारा अनाज का उठाव किया जा सकता है। यदि डीलर द्वारा मना किया जाता है तो इसकी शिकायत दर्ज कराएँ। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा स्वयं का मोबाइल नं0–9905940373 उपलब्ध कराया गया।

- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र में योजना संचालित है। सिमडेगा जिले में कुल 965 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इसमें प्रमुख रूप से 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को मनोरंजन के साथ प्रारंभिक शिक्षा एवं Hot Cooked Meal पूरक पोषाहार के रूप में दिया जा रहा है। केन्द्र में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को 2–2 पैकेट, गर्भवती महिलाओं को 2–2 पैकेट, 6 माह से 3 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को 3–3 पैकेट पोषाहार दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त धात्री माता को पौष्टिक दलिया दिया जा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् गर्भवती महिलाओं को निबंधन के समय 1000/– रू0, बच्चे के जन्म के समय 2000/– रू0, टीकाकरण के समय 2000/– रू0 एवं जननी सुरक्षा के तहत् 1000/– रू0 दिये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अब दूसरे बच्चे के लिये भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिया जाएगा। आंगनबाड़ी में दिये जाने वाले पोषाहर से सम्बन्धित मेन्यू सभी मुखियागण के बीच वितरण किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा स्वयं का मोबाइन नं0–8540977866 उपलब्ध कराया गया।
- जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 1995 से मध्याह्न भोजन संचालित है, जिसे अब पी0एम0 पोषण के नाम से जाना जाता है। जिले में 159 विद्यालय संचालित है, जहाँ मध्याह्न भोजन का लाभ बच्चों को दिया जा रहा है। विद्यालयों एस0एफ0सी0 के माध्यम से अनाज आता है। योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच पोषण को बढ़ावा देना एवं बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पका–पकाया भोजन दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना से सम्बन्धित मेन्यू सभी मुखिया को उपलब्ध कराया गया है। मुखियागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में संचालित विद्यालयों की निगरानी करें। जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा द्वारा स्वयं का मोबाइल नं0–8340222136 उपलब्ध कराया गया।
- सिविल सर्जन, सिमडेगा के प्रतिनिधि के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह अप्रैल से माह अक्टूबर तक लगभग 8143 गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया गया। अस्पतालों में ईलाज के अलावे पोषाहार भी दिया जा रहा है। कुपोषण उपचार केन्द्र में माह अप्रैल

से माह अक्टूबर तक लगभग 561 बच्चों का ईलाज किया गया। जिले में कुल 5 कुपोषण उपचार केन्द्र संचालित हैं। कुपोषित बच्चों के साथ रहने वाली उनकी माता को 130/– रू0 प्रतिदिन के दर से भुगतान किया जाता है। जिला परिवहन पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा स्वयं का मोबाइल नं0–9431584921 उपलब्ध कराया गया।

11. सिमडेगा जिला के अन्तर्गत आने वाले प्रखण्डों के विभिन्न पंचायतों द्वारा किये गये प्रश्नों का समाधान

- प्रश्न–श्री सुरजन बड़ाईक, मुखिया, पंचायत–समसेरा, प्रखण्ड–बोलबा द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या है, जिससे कार्डधारियों को राशन लेने में कठिनाई होती है। राशन के लिये अंगूठा पहले लगाना है या राशन लेने के समय ?

  उत्तर–आयोग द्वारा कहा गया कि राशन लेने के समय ही अंगूठा लगाएँ। नेटवर्क से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने के लिये अधिकारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है।

- प्रश्न–जिले में लाभुकों को राशन कम दिया जाता है।

  उत्तर– आयोग द्वारा कहा गया कि इसकी शिकायत अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष करें। समाधान नहीं होने पर आयोग के वाट्सएप्प नं0 पर प्रमाण सहित शिकायत दर्ज करें।

- प्रश्न–श्री कृपा हेमरोम, मुखिया, पंचायत–उकौली, प्रखण्ड–बानो द्वारा कहा गया कि हरा राशन कार्ड का राशन प्रत्येक माह मिलता है अथवा नहीं ?

  उत्तर–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा बताया गया कि हरा राशन कार्ड का आवंटन माह जुलाई तक ही मिला था। इसके बाद अब तक आवंटन नहीं मिला है। डीलर के पास पहले का जो स्टॉक बचा हुआ है, उसी में से हरा राशन कार्ड को राशन दिये जाने का आदेश मिला है।

इसके साथ लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा का भ्रमण कार्यक्रम समाप्त हुआ।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।